बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 ..../2026

इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 के लिए सूचीकृत/पंजीकृत विद्यार्थी का

(i) डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के वेबसाइट (पोर्टल) पर जारी करने,

(ii) उसमें परिलक्षित त्रुटि का ऑनलाइन सुधार करने,

(iii) विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणायुक्त डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने एवं

(iv) पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किए गए है, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका हस्ताक्षरित Prefilled घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि सत्र 2025–27 के लिए सूचीकृत इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 तथा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी, जिनका ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन (घोषणा पत्र सहित) निर्धारित अवधि में संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा भरा गया है, का **डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड** (Dummy Registration Card) समिति के वेबसाइट क्रमशः– इन्टरमीडिएट के लिए https://intermediate.biharboardonline.com पर एवं माध्यमिक के लिए **https://biharboardonline.org पर अपलोड कर दिया गया है, जो दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक उपलब्ध रहेगा।**

2. पूर्व में जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरे गए हैं एवं निर्धारित शुल्क जमा किए गए है, किन्तु घोषणा पत्र (Prefilled) अपलोड नहीं है, उनका Prefilled घोषणा पत्र अपलोड करने के संबंध में

2.1 इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2027 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2027 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के क्रम में प्रविष्ट विवरणों की परिशुद्धता के सत्यापन हेतु विद्यार्थी व माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (Prefilled) विद्यालय प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना था, जिसमें यह भी निदेशित था कि पूर्व से भरा हुआ (Prefilled) घोषणा पत्र अपलोड नहीं करने पर विद्यार्थी का सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन पूर्ण रूप से Submit नहीं होगा, जिसके कारण सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहेगा।

2.2 ऑनलाइन भरे गए सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इन्टरमीडिएट/माध्यमिक के कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा कई विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा गया एवं निर्धारित शुल्क भी जमा किया गया, किन्तु उनका Prefilled घोषणा पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया

गया है, वैसे विद्यार्थियों को सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन अपूर्ण रहने के कारण डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है।

2.3 पूर्व से जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन/अनुमति आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा है, उनका Prefilled घोषणा पत्र इस अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा। Prefilled घोषणा पत्र अपलोड होने के पश्चात उन विद्यार्थियों का भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के उक्त वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड कर दिया जाएगा।

3. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

(क) शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User Id एवं Password के माध्यम से उक्त वेबसाइट पर Login करने के बाद डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ अपने संस्थान के विद्यार्थी को दो प्रतियों में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) विशेष रूप **से** उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन भरे गये सूचीकरण/**पंजीयन** आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भी इस आशय की सूचना SMS (Message) के माध्यम से भेजी जा रही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी स्वयं भी समिति के उक्त वेबसाइट से अपना **डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड** निम्नवत प्रक्रिया के तहत डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैः–

i. वेब ब्राउजर के Address Bar में इन्टरमीडिएट के लिए https://intermediate.biharboardonline.com एवं माध्यमिक के लिए https://biharboardonline.org टाईप कर Enter करेंगे :–

ii. वेब पेज पर मौजूद "Click Here to Download Dummy Registration Card" लिंक पर Click करेंगे।

iii. तत्पश्चात् वेबसाइट का पेज खुलेगा, जहाँ पर विद्यार्थी अपना शिक्षण संस्थान कोड, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि (एवं संकाय केवल इन्टरमीडिएट के लिए) प्रविष्ट कर, "Submit Button" पर Click करेंगे।

iv. इसके बाद विद्यार्थी का Dummy Registration Card दिखेगा जिसे कम्प्यूटर/मोबाइल में Download किया जा सकता है।

4. यदि डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो विद्यार्थी द्वारा कलम से उसके सुधार करने एवं तत्संबंधी विद्यार्थी, माता/पिता/अभिभावक व शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(क) शिक्षण **संस्थान** के प्रधान उन सभी विद्यार्थियों, जिनका ऑनलाइन सूचीकरण/पंजीयन आवेदन निर्धारित अवधि में भरा गया है, को यह निदेश देंगे कि वे शिक्षण संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए गए अथवा स्वयं के द्वारा समिति के उपर्युक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों **को देखकर** यह आश्वस्त हो लेंगे कि उसमें अंकित किसी विवरण में कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो विद्यार्थी के द्वारा उसे कलम से सुधार किया जाएगा, ताकि त्रुटि का ऑनलाइन सुधार शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर **दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में** किया जा सके। **किसी विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग** (ie. A,E,K,M etc), **फोटो, जन्म तिथि,** जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से **संबंधित त्रुटि का सुधार ही कराया जा सकता है।**

विदित हो कि **विद्यार्थी के** नाम, माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी विद्यार्थी की पूर्ण पहचान बदल दी गयी है, तो उनका सूचीकरण/पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।

(ख) जिन विद्यार्थियों के द्वारा डमी **सूचीकरण**/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/**विवरणों** में कलम से सुधार किया जाएगा, वे कलम से सुधार किए गए डमी **सूचीकरण**/पंजीयन कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के **पास** उपलब्ध करा देंगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा।

5. शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधन

सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में संस्थान के अभिलेख से मिलानोपरांत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अपेक्षित संशोधन निर्धारित तिथि के अंतर्गत अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन त्रुटि सुधार के पश्चात् विद्यार्थियों का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा तथा उसी के आधार पर विद्यार्थी का ऑनलाइन परीक्षा आवेदन स्वीकार किया जाएगा एवं प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। **डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इसलिए यह अत्यावश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने संस्थान में विद्यार्थियों से संबंधित संधारित संगत अभिलेखों से मिलान कर निर्धारित अवधि में त्रुटि का ऑनलाइन सुधार कराना/करना सुनिश्चित करेंगे।**

6. डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधन के पश्चात् संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पुनः डाउनलोड कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना

विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों में समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधन के पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थियों को दो प्रतियों में प्राप्त करा जाएगा। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाइन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाइन संशोधन कराया जाएगा, और यह तब तक कराया जाएगा जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए।

7. त्रुटिरहित/संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों की शुद्धता के संबंध में विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक के द्वारा अनिवार्य रूप से घोषणा–पत्र हस्ताक्षरित किया जाना तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा घोषणा–पत्र को समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाना :–

7.1 पूर्व में यह देखा गया है कि विद्यार्थी अथवा उनके माता/पिता/अभिभावक अथवा शिक्षण संस्थान के प्रधान के स्तर पर पर्याप्त सर्तकता नहीं बरते जाने के कारण उनके सूचीकरण/पंजीयन से संबंधित एक या कतिपय विवरण त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिए जाते हैं तथा इसके संशोधन हेतु पर्याप्त अवधि तक अवसर दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा त्रुटियों का संशोधन समिति के पोर्टल के माध्यम से नहीं कराया जाता है। सूचीकरण से संबंधित विवरण त्रुटिपूर्ण रह जाने के कारण कतिपय विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने से एवं परिणामतः परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति वांछनीय नहीं है।

7.2 अतः छात्र-हित में यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों के साथ–साथ उनके माता/पिता/अभिभावक को भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड अवलोकन हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा संस्थान प्रधान के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से उसकी शुद्धता के संबंध में घोषणा–पत्र प्राप्त कर उसे समिति के पोर्टल पर अपलोड कराया जाए। अतएव प्रत्येक विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित विवरणों का अवलोकन कर निर्दिष्ट स्थल पर घोषणा–पत्र को तिथि सहित अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित करेंगे। तत्पश्चात् शिक्षण संस्थान के प्रधान भी डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा–पत्र को हस्ताक्षरित करेंगे। यह अनिवार्य है। उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

7.3 **जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं है :–** शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक वैसे विद्यार्थी जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा–पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर दिनांक **25.07.2026 से 14.08.2026 तक** की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।

7.4 **जिस विद्यार्थी के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में पाई गई त्रुटि का ऑनलाइन संशोधन किया गया है :–**शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक ऐसे विद्यार्थी, जिनके त्रुटिपूर्ण विवरण/विवरणों का समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से संशोधन किया गया है, का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त कराएँगे। विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाइन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाइन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित **घोषणा–पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर** तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर निर्धारित अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) में समिति के **पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरान्त पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन अंतिम रूप से किए गए संशोधन के पश्चात् डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित करवाकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत अपलोड किया जाएगा।**

8. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समिति के स्तर से विद्यार्थियों का जो मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत किया जाएगा वह शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से किए गए संशोधन के आधार पर ही होगा, न कि उनके द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विद्यार्थी/माता/पिता/अभिभावक के हस्ताक्षरित घोषणायुक्त संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के आधार पर। अतएव शिक्षण संस्थान के प्रधान त्रुटियों के ऑनलाइन संशोधन के कार्य में पर्याप्त सावधानी व सतर्कता बरतेंगे।

9. माध्यमिक के लिए यह विशेष रूप उल्लेखनीय है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थी को विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं गणित के स्थान पर गृह–विज्ञान के परीक्षा में शामिल होना होता है। दृष्टिबाधित विद्यार्थी से तात्पर्य है कि वैसे विद्यार्थी जो दोनों आँखों से देखने में सक्षम नहीं है। ऑनलाइन भरे गऐ पंजीयन के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों के डमी पंजीयन कार्ड की कंडिका–7 में निर्दिष्ट कोटि का उल्लेख है। यदि इस कोटि में त्रुटि हो, तो इसका अनिवार्य रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित अवधि में संशोधन करा लेना आवश्यक है।

10. **विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान देकर निर्धारित तिथि तक सुधार किये गये डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड का अवलोकन कर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उनके डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में त्रुटि का संशोधन शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा कर दिया गया है।** ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने/कराने का उत्तरदायित्व शिक्षण संस्थान के प्रधान के साथ–साथ विद्यार्थी एवं उनके अभिभावक का भी होगा।

11. यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि समिति द्वारा पोर्टल (इन्टरमीडिएट के लिए https://intermediate.biharboardonline.com एवं माध्यमिक के लिए https://biharboardonline.org) पर दिनांक 25.07.2026 से अपलोड किए जा रहे डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को शिक्षण संस्थान के प्रधान अपने User Id एवं Password का उपयोग कर डाउनलोड करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर व मुहर के साथ दो प्रतियों में संबंधित विद्यार्थी को अवलोकन हेतु उपलब्ध कराएँगे। विद्यार्थी स्वयं भी समिति के वेबसाइट (इन्टरमीडिएट के लिए https://intermediate.biharboardonline.com एवं माध्यमिक के लिए https://biharboardonline.org) से डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान के प्रधान प्रत्येक वैसे विद्यार्थी, जिनके समिति स्तर से निर्गत डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा–पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर **दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक** की अवधि में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।

11.1 जिन विद्यार्थियों के डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में त्रुटि परिलक्षित होती है, विद्यार्थी उसका सुधार कलम से करेंगे तथा इस प्रकार से सुधार किए गए डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड की दो प्रति अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास उपलब्ध कराएँगे। इसमें से एक प्रति साक्ष्य के रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान का हस्ताक्षर, मुहर एवं तिथि प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। द्वितीय प्रति शिक्षण संस्थान के प्रधान के पास संधारित रहेगा। सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी के द्वारा डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरण/विवरणों में कलम से किए गये सुधार के आलोक में, संस्थान के अभिलेख से मिलानोपरांत, समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अपेक्षित संशोधन **दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक की अवधि में** अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् उन विद्यार्थियों का संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड समिति के पोर्टल से पुनः डाउनलोड कर उसे संबंधित विद्यार्थी को प्राप्त कराएँगे। **विद्यार्थी संशोधित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि का संशोधन हो चुका है। ऑनलाइन संशोधन के उपरांत पुनः त्रुटि पाए जाने पर इसका पुनः ऑनलाइन संशोधन कराया जाएगा, जब तक कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित न हो जाए। जब डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड पूर्णतः त्रुटिरहित हो जाए तब उसमें मुद्रित घोषणा–पत्र को शिक्षण संस्थान के प्रधान विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित कराकर तथा उसे स्वयं भी हस्ताक्षरित कर निर्धारित** अवधि (दिनांक 25.07.2026 से 14.08.2026 तक) **में समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं किए जाने की** स्थिति में संबंधित विद्यार्थी का मूल सूचीकरण/पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तदनुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। **यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उस डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को समिति के पोर्टल पर किसी भी हाल में अपलोड नहीं किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा कलम से सुधार किया गया था, बल्कि विद्यार्थी के सुधारोपरान्त पोर्टल पर शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ऑनलाइन किए गए संशोधन के पश्चात् पुनः डाउनलोड किए गए संशोधित सूचीकरण/पंजीयन कार्ड में मुद्रित घोषणा पत्र को विद्यार्थी व उसके माता/पिता/अभिभावक से हस्ताक्षरित करवाकर तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत अपलोड किया जाएगा।**

12. ऑनलाइन डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर इन्टरमीडिएट के लिए हेल्पलाइन नं0-0612-2230039 अथवा E-mail Id: bsebinterhelpdesk@gmail.com एवं माध्यमिक के लिए हेल्पलाइन नं0-9430429722 अथवा bseb@antiersolutions.com पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

ज्ञापांक :-BSEB(SS)/ KEN/189/2025...705 पटना, दिनांक :-...24/..07../2026

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों के ई-मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाए। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

2. M/S S.S.B Pvt Ltd एवं M/S ANTIER SOLUTIONS PVT. LTD. को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार डमी सूचीकरण/पंजीयन डाउनलोड एवं सुधार हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को वर्णित आलोक में सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान को निर्धारित अवधि (दिनांक **25.07.2026** से **14.08.2026** तक) में डमी सूचीकरण/पंजीयन डाउनलोड करने एवं परिलक्षित त्रुटि का ऑनलाइन संशोधन करने तथा प्रत्येक विद्यार्थी के त्रुटि रहित डमी सूचीकरण/पंजीयन कार्ड को विद्यार्थी, उसके माता/पिता/अभिभावक व शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरोपरांत समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप अपलोड करने संबंधी निदेश अपने स्तर से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अथवा बैठक आयोजित कर देने की कृपा की जाए।

4. उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट, आई०टी० (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) को सूचनार्थ भेजते हुए निदेशित है कि उपर्युक्त के आलोक में अनिवार्य रूप से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी अनुरोध है कि विद्यार्थियों का डाटा चयनित एजेंसी से प्राप्त कर आश्वस्त हो लेंगे कि त्रुटि संशोधन के उपरांत किस-किस विद्यार्थियों का डाटा पूर्ण रूप से परिवर्तन किया गया है। विद्यार्थी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के वेबसाइट पर डाल दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी संबंधित शिक्षण संस्थान को ई-मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाए। इसकी सूचना शिक्षण संस्थान के प्रधान एवं संबधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाए। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

5. सभी उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

6. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, निदेशक, आई0टी0, तथा परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/विविध) को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति